कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा में राज्य मंत्री) (श्री कादम्बूर एम॰आर॰ जनार्दनन): (क) से (ग) केन्द्रीय भण्डार की, लक्ष्मी बाई नगर में कोई शाखा नहीं है तथा वहां कोई शाखा खोले जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है। फिर भी, केन्द्रीय भण्डार के दो शाखा भण्डार (ब्रांच स्टोर) सरोजिनी नगर में, एक आइ॰एन॰ए॰ कालोनी में, एक नौरोजी नगर में तथा एक अन्य पूर्वी किदवई नगर में है। ये सभी भण्डार (स्टोर), लक्ष्मी बाई नगर के आस-पास हैं तथा इस कालोनी के निवासियों की आवश्यकताएं पूरी करने में सेवारत हैं।

Profit Earned by Kendriya Bhandar

2140. CHAUDHARY CHUNNI LAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Kendriya Bandar is earning crores of rupees every year; and

(b) if so, the total accumulated profits earned by the Bhandar as compared to the Super Bazar and the NCCF?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) The Kendriya Bhandar has been continuously making profits since 1981-82.

(b) The details of accumulated profit/loss in respect of Kendriya Bhandar, NCCF and Super Bazar upto 1997-98 are given hereunder:—

	(Rs. in crores approximately)
Kendriya Bhandar	(+) 10.80
NCCF	(-) 38.49
Super Bazar	(-) 02.26

ग्रुप "क" और "ख" सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति

2141. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संविधान में संशोधन किए जाने के बावजूद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण का, विशेषकर पदोन्नति के मामले में, लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रुप "क" और ग्रुप "ख" में उनके लिए आरक्षित अधिकांश पदों को अक्सर अनारक्षित कर दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार दलित वर्गों के कर्मचारियों को पदोन्नतियों में, विशेषकर ग्रुप "क" और ग्रुप "ख" के पदों पर, आरक्षण प्रदान करने के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठाएगी?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा में राज्य मंत्री) (श्री कादम्बूर एम॰आर॰ जनार्दनन): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। सीधी भर्ती के संबंध में आरक्षित रिक्तियों के वि-आरक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध है। पदोन्नति के कोटे में भरी नहीं जा सकीं आरक्षित रिक्तियों को अस्थाई तौर पर बदल कर, सीधी भर्ती के कोटे में कर दिए जाने के बारे में अनुदेश भी मौजूद है तथा वि-आरक्षण का सहारा केवल अन्तिम उपाय के रूप में ही लिया जाना अपेक्षित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Special Incentives for Posting in North-Eastern Region

2142. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of special incentives offered to Central Government officers to attract them for posting in the North-Eastern Region;

(b) whether all such incentives are equally applicable to the employees also;

(c) if not the clauses applicable;

(d) whether the facilities like special duty allowance, retention of official accommodation both in Delhi and NER have yielded better result; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) With a view to

attracting and retaining competent officers for service in North Eastern Region, orders were issued on 14.12.83. These allowances and facilities were further liberalised on 1.12.88. The Vth Central Pay Commission made certain recommendations suggesting further improvements in the allowances and facilities admissible to Central Govt. employees, including officers of the All India Services posted in the North Eastern Region. Based on the recommendations, the Ministry of Finance has recently issued orders giving various incentives and facilities to Central Government employees, including officers of All India Services posted in the North Eastern Region.

(b) and (c) These incentives are applicable to those who have all India transfer liability, as covered under Department of Expenditure's O.M. dated 22.7.1998.

(d) and (e) No specific study has been made so far.

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण

2143. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सचिव स्तर के और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों (भारतीय प्रशासनिक सेवा) का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया है;

(ख) यदि हां, तो स्थानान्तरित किए गए इन सचिवों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का विस्तृत एंव अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके स्थानान्तरण से संबंधित मंत्रालयों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है; और

(घ) क्या इन स्थानान्तरणों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई हैं और जिसमें सरकार की कड़ी आलोचना की गई है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा में राज्य मंत्री) (श्री कादम्बूर एम॰आर॰ जनार्दनन): (क) पिछले छ: महीनों अर्थात् जून, 1998 से नवम्बर, 1998 तक की अवधि के दौरान सचिव के स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 24 अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है। इनमें से 6 अधिकारियों का स्थानांतरण, रिक्त पद या परिणामी रिक्त पद भरने हेतु किया गया। अन्य अधिकारियों का स्थानांतरण पूर्णत:, प्रशासनिक हित में ही किया गया।

(ख) पिछले छ: महीनों अर्थात् जून, 1998 से नवम्बर, 1998 तक की अवधि के दौरान स्थानांतरित किए गए सचिव के स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 24 अधिकारियों की सूची संलग्न विवरण में है (नीचे देखिए)।

(ग) सरकार को, पहले से कर दिए इन स्थानांतरणों से मंत्रालयों के काम-काज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं लगती, क्योंकि ये स्थानांतरण रिक्त पद/परिणामी रिक्त पद भरने के लिए या प्रशासनिक हित में ही किए गए थे।

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव के स्तर के किसी भी अधिकार के स्थानांतरण के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कोई भी याचिका दायर नहीं की गई, अत: उच्चतम न्यायालय को सरकार की आलोचना करने का कोई अवसर नहीं मिला।

विवरण

पिछले छ: महीनों अर्थात् जून, 1998 से नवम्बर, 1998 तक की अवधि के दौरान स्थानांतरित भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव के स्तर के 24 अधिकारियों की सूची

10.06.1998 को

1. श्री एम॰ के॰ काव, नागर विमानन-मंत्रालय से योजना-आयोग में।
2. श्री आर॰ वासुदेव, जवाहर लाल नेहरू पत्तन-न्यास से भूतल-परिवहन-मंत्रालय में (रिक्त पद भरने के लिए)
3. श्री पी॰ वी॰ जयकृष्णन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-सरकार से नागर विमानन-मंत्रालय में।

16.06.1998 को

4. श्री के॰ बी॰ सक्सेना, स्वास्थ्य-विभाग से योजना-आयोग में।
5. श्री के॰ के॰ बक्शी, योजना-आयोग से स्वास्थ्य-विभाग में।

30.06.1998 को

6. डा॰ ई॰ ए॰ एस॰ शर्मा, विद्युत-मंत्रालय से व्यय-विभाग में (रिक्त पद भरने के लिए)
7. श्री वी॰ के॰ पंडित, योजना-आयोग से विद्युत-मंत्रालय में (परिणामी रिक्त पद भरने के लिए)